188

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

RCSE

माडल स्कूल

वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2011-12

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद

दूरभाषः 0141-2709846, 2700872 ई-मेलः spdrmsaraj@gmail.com

डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर- 302017

189

संरक्षक :

वीनू गुप्ता, आई.ए.एस
प्रमुख शासन सचिव
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर

सह-संरक्षक :

भास्कर ए सांवत, आई.ए.एस
शासन सचिव
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर

निर्देशन :

डॉ वीना प्रधान, आई.ए.एस
निदेशक (मा.शि.) एवं राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर

सह-निर्देशन :

सीमा सिंह, आर.ए.एस
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर

सम्पादन :

रवीन्द्र कुमार लाटा
उप निदेशक (योजना)
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर

विशेष प्रयास :

संजय कुमार शर्मा
एम.आई.एस. प्रभारी
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर

RCSE

वार्षिक प्रतिवेदन 2011–12

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
1	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् : एक परिचय	2–5
2	शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्ड (EBB)	6–7
3	मॉडल स्कूल – योजना का सामान्य परिचय	8–9
4	मॉडल स्कूल – योजना की प्रगति का विवरण	10–13
5	ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2011–12	14–20

अध्याय –1

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् : एक परिचय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का एक मुख्य उद्देश्य माध्यमिक स्तर की शिक्षा में बालिकाओं व समाज के पिछड़े वर्गों की सहभागिता को बढ़ाना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भारत सरकार व विभिन्न राज्य सरकारें प्रयास कर रही हैं किन्तु, सर्व शिक्षा अभियान सहित प्रारंभिक शिक्षा के अन्य कार्यक्रमों की सफलता के कारण प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले समाज के कमजोर एवं पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या के कारण माध्यमिक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक बालक–बालिकाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती हुई विद्यार्थी संख्या को गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के उचित अवसर प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने अपने स्वतंत्रता दिवस 2007 के राष्ट्रीय उद्बोधन में माध्यमिक शिक्षा की पहुँच के सार्वजनीकरण की योजना SUCCESS (Scheme for Universalization of Access at Secondary Stage) प्रारंभ करने की घोषणा की थी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की उक्त उद्घोषणा को अमलीजामा पहनाते हुए समाज के कमजोर एवं पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों तथा बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से ही वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा माध्यमिक स्तर पर तीन नई परियोजनायें प्रारंभ की गई। ये परियोजनायें है:–

(1) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

(2) बालिका छात्रावास योजना

(3) शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाकों में 6000 मॉडल स्कूलों की स्थापना।

राजस्थान में इन परियोजनाओं की प्रभावी तथा समयबद्ध ढंग से क्रियान्विती सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत 'राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्' सोसायटी का गठन किया गया। इस सोसायटी का पंजीकरण 03 सितम्बर, 2009 को करवाया गया था। परिषद् ने पंजीयन के तुरंत बाद कार्य प्रारंभ कर दिया। परिषद् के संचालन के लिए एक राज्य स्तरीय निष्पादक समिति की स्थापना की गई। राजस्थान

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति के अध्यक्ष प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग हैं। परिषद् के राज्य परियोजना निदेशक एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, निष्पादक समिति के सचिव हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् को आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय शाषी परिषद् का भी गठन किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निष्पादक समिति की प्रत्येक तीन माह में तथा शाषी परिषद् की वर्ष में एक बार बैठक आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 20011-12 मे निष्पादक समिति की दो बैठकों का आयोजन किया गया।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के कार्यों का संचालन राज्य परियोजना निदेशक द्वारा किया जाता है। राज्य परियोजना निदेशक का सहयोग करने हेतु अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक की नियुक्ति की गई है। राज्य परियोजना निदेशक का कार्यभार माध्यमिक शिक्षा निदेशक/आयुक्त को ही पदेन रूप से दिया जाता है। अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक के पद पर राज्य प्रशासनिक सेवा वर्ग के वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। इन अधिकारियों के नियंत्रणाधीन शाखाओं में कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा परिषद् का समस्त कार्य संपादित किया जाता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कार्य करने वाली विभिन्न शाखायें निम्न प्रकार हैं:-

(i) **लेखा व वित्त शाखाः--** इस शाखा में लेखा व वित्त संबंधी कार्यों हेतु वरिष्ठ लेखाधिकारी के नेतृत्व में राज्य व जिला परियोजना कार्यालयों में सहायक लेखाधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार, लिपिक वर्ग के कर्मचारी व कम्प्यूटर ऑपरेटर आदि कार्यरत हैं।

(ii) **सिविल निर्माण कार्य शाखाः–** सिविल निर्माण कार्य हेतु इस शाखा में अधिशाषी अभियंता के नेतृत्व में राज्य परियोज़ना मुख्यालय पर एक सहायक अभियंता एवं एक कनिष्ठ अभियंता कार्यरत हैं। जिला स्तर पर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए प्रत्येक जिले में एक सहायक अभियंता तथा एक कनिष्ठ अभियंता का पद स्वीकृत किया गया है। यद्यपि अधिकांश जिलों में परिषद् के स्वयं के अभियंता नियुक्त किये गये हैं; किंतु, कुछ जिलों में सर्व शिक्षा अभियान की सिविल शाखा का सहयोग भी किया गया हैं।

(iii) ***अकादमिक शाखायें***:– इन शाखाओं में एक उपनिदेशक, एक सहायक निदेशक व एक कम्प्यूटर ऑपरेटर की टीम की नियुक्त की गई है। यह टीम विभिन्न योजनाओं के अकादमिक कार्यों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है। परिषद् पर कार्यरत विभिन्न अकादमिक शाखायें निम्न प्रकार हैं:–

(अ) बालिका छात्रावास व संस्थापन
(ब) मॉडल स्कूल व एक्सेस
(स) गुणवत्ता, इक्विटी, प्रशासन व प्रशिक्षण
(द) योजना व मॉनिटरिंग

परिषद् द्वारा संचालित होने वाली परियोजनाओं को राज्य की परिस्थितियों व विभागीय व्यवस्थाओं में तारतम्य की दृष्टि से एवँ इन्हें प्रभावी रूप से लागू करने के उद्देश्य से परिषद में कार्यरत अकादमिक, प्रशासनिक व संस्थापन शाखा में कार्य करने वाले अधिकारी राज्य के माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये गये हैं।

राज्य स्तर पर स्वीकृत व कार्यरत पदों का विवरण:– राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के राज्य परियोजना कार्यालय में स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र. स.	पद नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	विशेष विवरण
1.	राज्य परियोजना निदेशक	01	01	0	निदेशक (मा.शि.) ही पदेन राज्य परियोजना निदेशक हैं।
2.	अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक	01	01	0	
3.	संयुक्त निदेशक	02	0	0	2 उ. नि. संयुक्त निदेशक के पदों के विरूद नियुक्त हैं।
4.	उपनिदेशक	02	04	0	
5.	अधिशाषी अभियंता	01	01	0	
6.	सहायक अभियता	01	01	0	
7.	कनिष्ठ अभियता	02	01	01	
8.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	01	01	0	
9.	सहायक लेखा अधिकारी	01	01	0	
11.	कनिष्ठ लेखाकार	02	01	01	
12.	सहायक निदेशक	05	05	0	
13.	एम.आई.एस. प्रभारी	01	01	0	
14.	निजी सहायक	03	02	01	
15.	वरिष्ठ लिपिक	02	01	01	
16.	कनिष्ठ लिपिक	01	01	0	
17.	डेटा एण्ट्री ऑपरेटर	02	01	01	
18.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	08	08	0	
19.	सहायक कर्मचारी (संविदा पर)	10	10	0	
20.	योग	46	41	5	

जिला स्तर पर स्वीकृत व कार्यरत पदों का विवरण:– राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के जिला परियोजना कार्यालयों में स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों का विवरण ... प्रकार है:–

क्र. स.	पद नाम	स्वीकृत पद	का...		विशेष विवरण
1.	जिला परियोजना समन्वयक	33			...शि.अ. (मा. शि.) ही पदेन ...प.स. हैं।
2.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	33			...ासनिक व्यय हेतु एम. एम. आर. मद में न्यून राशि ... होने के कारण जिले में ...र्यरत अधिकांश ...धिकारियों/कर्मचारियों का ...न परियोजना मद से ...हरित करने के स्थान पर ...नके मूल विभाग से ही ...हरित किया गया है।
3.	सहायक लेखाधिकारी	33			
4.	सहायक अभियंता	33			
5.	कनिष्ठ लेखाकार	33			
6.	कनिष्ठ अभियंता	33			
7.	कार्यक्रम अधिकारी	99			
8.	कनिष्ठ लिपिक	66			
9.	आशु लिपिक	33			
10.	एम.आई.एस. प्रभारी	33			
11.	कम्प्यूटर ऑपरेटर सेवा	99			
12.	सहायक सेवा	99			
	योग:	627	1...		

अध्याय –2

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्ड (EBB)

माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के द्वारा समाज के कमजोर एवं पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों की समानता सुनिश्चित करते हुए गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संपूर्ण राष्ट्र में से शैक्षिक दृष्टि से पिछले विकास खण्ड अर्थात् ई.बी.बी. (EBB-Educationally Backward Block) का चयन करते हुए इन विकास खण्डों में माध्यमिक शिक्षा के प्रसार हेतु विशेष प्रयास करने के उद्देश्य से सभी राज्यों में से ऐसे विकास खण्डों का चयन किया गया है जिनमें :–

(i) कमजोर व वंचित वर्ग की जनसंख्या अधिक हो,

(ii) ग्रामीण महिला साक्षरता दर अत्यंत न्यून हो व

(iii) जेन्डर गेप बहुत अधिक हो।

उक्त आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2009 में राजस्थान राज्य के कुल 238 विकास खण्डों में से 186 विकास खण्डों को शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक (ई.बी.बी.) माना गया है। जिलेवार इन ब्लॉक की सँख्या का विवरण निम्न प्रकार है:–

राजस्थान में जिले वार ई.बी.बी की संख्या

जिले का नाम	जिले में ई.बी.बी की सं.	कुल
भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ, नागौर	11 x 3	33
अलवर, पाली	10 x 2	20
उदयपुर, जोधपुर	9 x 2	18
भरतपुर	8 x 1	8
अजमेर, बांसवाडा, बारां, जयपुर, जालौर, राजसमन्द	7 x 6	42

जिले का नाम	जिले में ई.बी.बी की सं.	कुल
बाड़मेर, टोंक	6 x 2	12
प्रतापगढ़, बीकानेर, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, सिरोही	5 x 5	25
बूंदी, दौसा, धौलपुर, झालावाड, करौली,	4 x 5	20
जैसलमेर	3 x 1	3
श्रीगंगानगर	2 x 1	2
कोटा, चुरू, हनुमानगढ	1 x 3	3
सीकर, झुंझुनु	0 x 2	0
	योग	186

अध्याय –3

मॉडल स्कूल योजना – योजना का सामान्य परिचय

माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा 15 अगस्त, 2007 को की गई घोषणा को मूर्त रूप देने हेतु पूरे देश में लगभग 6000 मॉडल विद्यालयों की स्थापना किये जाने का कार्यक्रम वर्ष 2008 से प्रारंभ किया गया है। बालिका छात्रावासों के समान ही इन मॉडल विद्यालयों की स्थापना भी शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक्स में की जानी है।

इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान में भी 186 शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक्स की पहचान की गई है। इन 186 पिछड़े ब्लॉक्स में केन्द्रीय विद्यालयों के पैटर्न पर आधुनिक सुविधाओं युक्त मॉडल विद्यालयों के स्थापना की जानी है। इन विद्यालयों की विशेषताऐं इस प्रकार हैं:–

1. इन विद्यालयों की स्थापना हेतु भूमि राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जानी है। जिला कलेक्टर महोदय द्वारा 5 एकड़ या इससे अधिक भूमि का आवंटन मॉडल स्कूल स्थापना हेतु करने के बाद मॉडल स्कूल की स्थापना के प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाये जाते हैं। केन्द्र सरकार की स्वीकृति के बाद संबंधित ब्लॉक में मॉडल स्कूल की स्थापना का कार्य प्रारंभ किया जाना है।
2. इन विद्यालयों के संचालन व प्रबंधन हेतु केन्द्रीय विद्यालयों के अनुसार ही अलग से समिति बनायी जानी है। तदनुरूप रामाशिप इन विद्यालयों के प्रबंधन व संचालन हेतु राज्य स्तरीय समिति के रुप में कार्य कर रही है।
3. इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को हिन्दी व अंग्रेजी दोनो भाषाओं को शिक्षण माध्यम के रूप में तथा कक्षा 9 से 12 तक अंग्रेजी भाषा को शिक्षण माध्यम के रूप में रखना प्रस्तावित है।
4. इन विद्यालयों में पर्याप्त भवन, ऑडिटोरियम, खेलकूद प्रागंण, उद्यान, कला व संगीत कक्ष, प्रयोगशाला व कम्प्यूटर कक्ष आदि की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

5. इन विद्यालयों में आधुनिक विधियों से शिक्षण के अलावा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान देने हेतु शिक्षण के साथ ही खेलकूद गतिविधियों, सह शैक्षिक गतिविधियों, विद्यार्थियों की स्वास्थ्य जॉच, शैक्षिक भ्रमण आदि गतिविधियां किया जाना प्रस्तावित है।
6. केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में 186 ब्लॉक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक के रूप में चिन्हित (सीकर व झुंझुनूं जिले का कोई ब्लॉक मॉडल स्कूल योजना में शामिल नहीं) किये गये हैं। इन सभी ब्लॉक में एक–एक मॉडल विद्यालय की स्थापना राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के तहत किया जाना प्रस्तावित है।
7. इन विद्यालयों की स्थापना केन्द्रीय विद्यालयों के अनुरूप की जानी है तथा इन विद्यालयों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया जाना प्रस्तावित है।
8. इन विद्यालयों में आधुनिक पद्धति एवं तकनीकी से शिक्षण कार्य की व्यवस्था की जानी है।
9. इन विद्यालयों की स्थापना हेतु ब्लॉक मुख्यालय की पांच कि.मी. परिधि में करने को प्राथमिकता दी जा रही है।
10. प्रत्येक विद्यालय के भवन की लागत रूपये 302.00 लाख प्रस्तावित है। इस राशि का भवन निर्माण कार्य, फर्नीचर, साज सज्जा, पेयजल व्यवस्था आदि हेतु उपयोग किया जाना है।
11. केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा इस योजना में 75 : 25 के अनुपात में अंशदान उपलब्ध करवाया गया है।

अध्याय –4

मॉडल स्कूल योजना – योजना की प्रगति का विवरण

भारत सरकार द्वारा संचालित मॉडल स्कूल योजना अन्य राज्यों व केन्द्र शाषित प्रदेशों के समान ही राजस्थान में भी राज्य के 186 शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक (EBB) में 2008 से संचालित की जा रही है। प्रारंभ में इस योजना का क्रियान्वयन राज्य के माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा था। वर्ष 2009 में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की स्थापना के पश्चात् इस योजना का क्रियान्वयन परिषद् द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक के बालक बालिकाओं को (विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को) आधुनिक व गुणवत्ता पूर्ण माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाना है। इस योजना में राजस्थान के 33 जिलों में से 31 जिले शामिल हैं। सीकर व झुन्झुनूं दो जिले ऐसे हैं जिनमें किसी भी विकास खण्ड का ई.बी.बी. के रूप में चयन नहीं होने के कारण इन जिलों में यह योजना संचालित नहीं है।

इस योजना के अंतर्गत होने वाले निर्माण कार्य राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किये जा रहे हैं। इस योजना की वर्ष 2011–12 के दौरान प्रगति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:–

1. भारत सरकार द्वारा 31 मार्च 2012 तक राज्य के 186 ई. बी. बी. में से 134 ब्लाक में मॉडल स्कूल स्थापना की दो चरणों में स्वीकृति प्रदान की गई है।
2. 31 मार्च 2012 तक 134 मॉडल स्कूल निर्माण के लिये कुल मिलाकर 17220.00 लाख रूपये प्राप्त हुए हैं। इस राशी का केन्द्रांश व राज्यांशवार तथा वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है–

(राशी रू लाख में)

वर्ष	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल राशी	विवरण
2010-11	3265.00	1088.00	4353.00	91 माडल स्कूलों के भवन निर्माण हेतु प्रथम किश्त की राशी
2011-12	10898.00	1969.00	12867.00	उक्त 91 माडल स्कूलों के भवन निर्माण हेतु प्रथम किश्त का द्वितीय भाग व 43 माडल स्कूलों के भवन निर्माण हेतु प्रथम किश्त की राशी
योग	**14163.00**	**3057.00**	**17220.00**	

200

3. उक्त 134 माडल स्कूलों में से 91 माडल स्कूलों के निर्माण कार्य का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपा गया है।

4. वित्तीय वर्ष 2011–12 की समाप्ति (31 मार्च 2012) तक राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 55 माडल स्कूलों के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

5. परिषद् को वर्ष 2011–12 तक प्राप्त कुल 17220.00 लाख रूपये में से वर्ष 2011–12 की समाप्ति तक कुल मिलाकर 9184.00 लाख रूपये की राशी राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थांतरित की जा चुकी है।

6. वर्ष 2011–12 की समाप्ति तक राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित किये जा रहे माडल स्कूलों की सूची निम्न प्रकार है–

क्र सं.	जिले का नाम	ब्लॉक	आवंटित स्थल
1	अजमेर	मसूदा	मसूदा
2	अलवर	बानसूंर	शाहपुर
3		लक्ष्मणगढ़	हरसाना
4		रेणी	डेरा
5		रामगढ़	बगड राजपूत
6	बांसवाड़ा	घाटोल	हिम्मत सिंह का गढ़ा
7	बांरा	छबड़ा	केडियावास
8		शाहबाद	शाहबाद
9		अटरू	खेड़ली बांसला
10	बाडमेर	बाड़मेर	आदर्श चूली
11		शिव	देताणी
12	भीलवाडा	आसिंद	श्योपुर
13		जहाजपुर	जहाजपुर
14		मॉडल	बागोर
15		रॉयपुर	जगपुरा
16		हुरडा	तसवारीया
17		सहाडा	पोस्लन
18		शाहपुरा	शाहपुरा

क्र सं.	जिले का नाम	ब्लॉक	आवंटित स्थल
19		कोटड़ी	कोदीया (आसोप)
20		मांडलगढ़	श्यामपुरा
21	बूंदी	नैनवा	नैनवा
22		हिंडोंली	हिंडोंली
23		तालेरा	सिलोर
24	गंगानगर	सूरतगढ़	सूरतगढ़
25		अनूपगढ़	अनूपगढ़
26	जैसलमेर	सांकड़ा पोकरण	सांकड़ा पोकरण
27		सम	फतेहगढ़
28		जैसलमेर	जैसलमेर
29	जालौर	रानीवाड़ा	डोडवाड़िया
30	जोधपुर	बाप	बाप
31		फलौदी	फलौदी
32		लूणी	लूणी
33		मंडोर	बड़ली
34	नागौर	डीडवाना	मंडाबासनी
35		परबतसर	परबतसर
36		रियां	रियांबडी
37		मेड़तासिटी	इन्दावड़
38	राजसमन्द	देवगढ़	देवगढ़
39		रेलमगरा	प्रेमनगर
40		आमेट	आमेट
41		खमनौर	सेमा
42		कुम्भलगढ़	हमीरपाल
43		राजसमन्द	केलवा
44	सिरोही	पिण्डवाड़ा	झाडोली

203

अध्याय –5

माडल स्कूल (Model School): आडिट रिपोर्ट

~*~

"MODEL SCHOOL"

Audit Report for the year ended 31.03.2012

Rajasthan Council for Secondary Education, Jaipur Rajasthan

~*~

Garg Narendra & Associates
Chartered Accountants
G-3-4, Shivgyan Avenue,
2 Yudhisther Marg, C- Scheme,
Jaipur (Raj)-302005
Tel : 0141-2222021 Fax : 2223021

~*~

GARG NARENDRA & ASSOCIATES
Chartered Accountants

109-110, Shivgyan Avenue
2, Yudhisther Marg, C-Scheme, Jaipur - 302 005
Tel. : 0141-2222021, 2223021
E-mail : nkg@gna-co.com, Website : www.gna-co.com

204

AUDIT REPORT

We have examined the Balance Sheet as at **31st March, 2012** and the Income and Expenditure account for the year ended on that date, attached herewith of **Rajasthan Council for Secondary Education, State Office – Model School Scheme, Jaipur, Rajasthan.**

1. We certify that the Balance Sheet and the Income & Expenditure account are in agreement with the books of account maintained at the **State Office.**

2. We conduct our audit in accordance with generally accepted audit standards in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with an identified financial reporting framework and are free of material mis-statements. An audit includes examining on a test basis, evidence supporting the amount and disclosures in the financial statement. An audit also includes assessing the accounting principle used and significant estimates made by management as well as evaluating the overall financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3.
   (A) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

   (B) In our opinion, proper books of account have been kept by the **State Office** of the Rajasthan Council for Secondary Education so for as it appears from our examination of the books.

   (C) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts, read with notes thereon ,if any, give a true and fair view.

      (i) In the case of the Balance Sheet, of the state of the affairs of **the State Office** as at **31st March, 2012,** and

      (ii) In the case of the Income & Expenditure account of the **surplus** of the **State Office** for the year ended on that date.

      (iii) In the case of Receipt and Payment Account of the **State Office** for the year ended on that date.

For GARG NARENDRA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN 008712C

PLACE : JAIPUR
DATED : 20.12.2012

GARG NARENDRA & ASSOCIATES Chartered Accountants JAIPUR

N Agarwal

(NARENDRA KUMAR AGARWAL)
PARTNER
M. No. 077501

205

Rajasthan Council for Secondary Education,
State Office
Model School

BALANCE SHEET AS ON 31.03.2012

LIABILITIES		AMOUNT (IN Rs.)	ASSETS	AMOUNT (IN Rs.)
CAPITAL FUND			**CURRENT ASSETS & ADVANCES**	
Op. Balance	435751755.11		Advance to RMSA	11021925.00
Add : Surplus during the yr.	1286700000.00	1722451755.11	Advance to Girls Hostel	16730000.00
			Advance to PWD	918400000.00
CURRENT LIABILITIES			**CASH & BANK BALANCES**	
Advance from IIPDF		4000000.00	Bank of Maharashtra including FDR	780300330 11
R.K. Latta		500.00		
		1726452255.11		**1726452255.11**

For Rajasthan Council for Secondary Education

State Project Director
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद
जयपुर

Sr. Accounts Officer
मुख्य लेखाधिकारी
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद
जयपुर

PLACE : JAIPUR
DATE : 20.12.2012

In terms of our seprate reprt of even date
FOR GARG NARENDRA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN 008712C

GARG NARENDRA & ASSOCIATES Chartered Accountants JAIPUR

(NARENDRA KUMAR AGARWAL)
Partner
M.No. 077501

(206)

Rajasthan Council for Secondary Education,
State Office
Model School

RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR FROM 01.04.2011 TO 31.03.2012

RECEIPT	AMOUNT (IN Rs.)	PAYMENTS	AMOUNT (IN Rs.)
To Opening Balance		By Transfer to RMSA	9510000.00
Bank of Maharashtra	438240330.11	By Transfer to Girls Hostel	16730000.00
		By Advance to PWD	918400000.00
To Grant Received			
G.O.I.	1089800000.00		
G.O.R.	196900000.00	By Closing Balance	
		Bank of Maharashtra including FDR	780300330.11
	1724940330.11		1724940330.11

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR FROM 01.04.2011 TO 31.03.2012

EXPENDITURE	AMOUNT (IN Rs.)	INCOME	AMOUNT (IN Rs.)
		By Grant Received	
		G.O.I.	1089800000.00
		G.O.R.	196900000.00
To Surplus	1286700000.00		
	1286700000.00		1286700000.00

For Rajasthan Council for Secondary Education

राज्य परियोजना निदेशक
State Project Director, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद
जयपुर

Sr. Accounts Officer
मुख्य लेखाधिकारी
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद
जयपुर

PLACE : JAIPUR
DATE : 20.12.2012

In terms of our seprate reprt of even date
FOR GARG NARENDRA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN 008712C

(NARENDRA KUMAR AGARWAL)
Partner
M.No. 077501

GARG NARENDRA & ASSOCIATES Chartered Accountants JAIPUR

207

Rajasthan Council for Secondary Education
State Office
R.M.S.A - Girls Hostel - Model School
Jaipur (Rajasthan)
For the year ending 31st March 2012

ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS

1. **Basis of preparation**

   The financial statements have been prepared to comply in all material respects with the mandatory Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The financial statements have been prepared under "Cash Basis" and all the income and expenditure are recognised on Cash Basis. The accounting policies have been consistently applied by the auditee and are consistent with those used in the previous year except treatment of grant which has been changed from capital to revenue approach during the current year.

   Double entry accounting system has not been followed as no Ledger, Journal books are maintained. *(Irregularity \ non-compliance of BF&AR of RCSE Part-I vide chapter IV, Rule-24)*

2. **Cash & Bank**

   a. Cash Balance as on 31.03.2012 is Rs. 31.00 as per cash book.

   b. Bank Balance taken and accepted as per bank /cash book.

   c. Bank reconciliation statement has not been prepared by the auditee. *(Irregularity \ non-compliance of BF&AR of RCSE Part-I vide chapter IV, Rule-30)*

3. Stationery and consumables are booked as expense in the year of payment.

4. Expenditure is booked in Income & Expenditure Account on the basis of payment made. Utilisation Certificate has not been received and not considered for booking of expenditure.

5. Bank charges have been shown as net of reimbursement.

6. Balance in personal accounts are subject to confirmation.

7. During the year 24,447.00 received as bank interest (SBBJ Bank) has not been entered in books of accounts maintained by the state office, therefore bank balance and surplus of the state has been understated by Rs.24,447.00 *(Irregularity \ non-compliance of BF&AR of RCSE Part-I vide chapter III, Rule-13)*

8. ***During the year a sum of Rs. 6,22,02,686.00 received as F.D.R. Interest from Bank of Maharashtra and TDS thereon Rs.62,20,276.00 has not been accounted for in the books maintained by State office, therefore, surplus of the state office has been understated by Rs.6,22,02,686.00 and Bank Balance has also been understated by Rs. 5,59,82,410.00 and Current Assets (TDS) of state office has been understated by Rs.62,20,276.00 (Irregularity \ non-compliance of BF&AR of RCSE Part-I vide chapter III, Rule-13)***

For Rajasthan Council for Secondary Education

(State Project Director) राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् जयपुर

(Sr. Accounts Officer) मुख्य लेखाधिकारी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर

Rajasthan Council for Secondary Education
State Office
R.M.S.A - Girls Hostel - Model School
Jaipur (Rajasthan)
For the year ending 31st March 2012

9. *During the year there is accrued interest on FDR from Bank of Maharashtra amounting to Rs.2,10,71,210.00 and TDS thereon Rs.21,07,121.00 has not been accounted for in the books maintained by State office, therefore surplus of the state office has been understated by Rs.2,10,71,210.00 and Bank Balance has also been understated by Rs. 1,89,64,089.00 and Current Assets (TDS) of state office has been understated by Rs. 21,07,121.00 (Irregularity \ non-compliance of BF&AR of RCSE Part-I vide chapter III, Rule-13)*

10. *During the year the Bank of Maharashtra has deducted TDS amounting to Rs. 83,27,397.00 which is not required to be deducted in the light of provisions of The Income Tax Act,1961 resulting into blocking of this huge sum.*

11. During the year Rs. 617.00 has been deducted as bank charges by Bank of Baroda, which has not been entered in books of accounts maintained by the state office, therefore surplus & bank balance of the state has been overstated by Rs.617.00 *(Irregularity \ non-compliance of BF&AR of RCSE Part-I vide chapter III, Rule-13)*

12. During the year state office has made payment on account of travelling which has not been properly verified & authenticated. *(Irregularity \ non-compliance of BF&AR of RCSE Part – I vide chapter III, Rule 18)*

13. During the year state office has paid Rs.2,04,000.00 as grant to Jhalawar District office, but the amount has not been credited in bank balance maintained by state office. Hence, bank balance has been overstated by Rs.2,04,000.00 therefore, surplus of the state has been overstated by the same. *(Irregularity \ non-compliance of BF&AR of RCSE Part-I vide chapter III, Rule-13)*

14. During the year cheques/ NEFT made and later on the same has been cancelled, but the amount has not been debited in bank balance maintained by state office. Hence, bank balance has been understated by Rs.17,170.00 and advances has been overstated by Rs.17,170.00.

15. During the course of audit, State office have collected / deducted various statutory deductions such as TDS, WCT and others as applicable, but the payment to concerned govt. department was not made in stipulated time as prescribed by the respective statue which may result in financial burden in shape of interest & penalty and personal accountability of concerned person.

16. During the year the state office has not deducted the TDS on following payments :- *(Irregularity \ non-compliance of BF&AR of RCSE Part-I vide chapter V, Rule-36)*

Amount	Payment made to	On Account of
1,07,253.00	Jaipur Ex-men Welfare Society	Security & Maintenance Expenses
40,421.00	Hotel Khasa Kothi	Training Expenses
11,848.00	Hotel Gangaur	Training Expenses

For Rajasthan Council for Secondary Education

(State Project Director) राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् जयपुर

(Sr. Accounts Officer) वरिष्ठ लेखाधिकारी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् जयपुर

Rajasthan Council for Secondary Education
State Office
R.M.S.A - Girls Hostel - Model School
Jaipur (Rajasthan)
For the year ending 31st March 2012

17. During the year the state office has deducted less/short TDS on payments :-

TDS Deducted	TDS to be Deducted	Short Deduction	Payment made to	On Account of
3,054.00	15,778.00	12,724.00	Goyal Darda and Co.	Audit Work
16,232.00	16,617.00	385.00	Jitendra Computers	Computer Expenses
11,581.00	12,832.00	1,251.00	CDECS	Consultancy Expenses
374.00	1,239.00	865.00	Lokmitra International	Stationary Expenses
1,218.00	2,697.00	1,479.00	Milan Sweets	Staff Welfare Expenses

18. During the year SPO has given advance to Suppliers & Staff for Rs.41,113.00 which are outstanding/unadjusted as on 31.03.2012 (*Irregularity \ non-compliance of BF&AR of RCSE Part-I vide chapter VI, Rule- 47)*

For Rajasthan Council for Secondary Education

(State Project Director)
राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्
जयपुर

(Sr. Accounts Officer)
मुख्य लेखाधिकारी
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

IN TERMS OF OUR SEPRATE REPORT OF EVEN DATE
For GARG NARENDRA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN 008712C

Place : Jaipur
Dated : 20.12.2012

(NARENDRA KUMAR AGARWAL)
PARTNER
M.No.077501